संख्या-04/2022/292/003-83-1002-2-2021

प्रेषक,

राजन शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण-वितरण अधिकारी/उप सचिव,
होमगार्डस, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग, लेखा अनुभाग,
उ0प्र0 शासन।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग लखनऊ: दिनांक 18 जुलाई, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 के अवशेष आठ माहों (माह अगस्त, 2022 से मार्च, 2023 तक) के लिये वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यमाल महोदया चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखानुदान अवधि (माह अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक) के लिए जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों की धनराशि को घटाने/समायोजित करने के उपरान्त अवशेष आठ माहों के लिए आय-व्ययक की अनुदान संख्या-27 के लेखाशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106 सिविल रक्षा-03 राज्य मुख्यालय स्थापना-0301-सामान्य के अन्तर्गत कुल व्यवस्थित धनराशि रू0-88.27 लाख (रू0 अट्ठासी लाख सत्ताईस हजार मात्र) में से रू0-46.05 लाख अर्थात रू0-4605000/- (रू0 छियालीस लाख पांच हजार मात्र) की धनराशि, जिसका शीर्षक एवं मदवार विवरण संलग्न है, को वित्त विभाग के उक्त कार्यालय-ज्ञाप में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1- आवंटित की गयी धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

2- स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग कर ली जाय, जो सामान्यत: दो माह की आवश्यकता से अधिक न हो।

3- प्रत्येक माह के व्यय की सूचना अगले माह की 05 तारीख तक अनिवार्यत: शासन को उपलब्ध कराया जाय।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-अ-5 भाग-1 के प्रस्तर-369एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 एवं शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखापरीक्षक) (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद व उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिये उपलब्ध रहेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय

लेखशीर्ष: 2070001060301 (सामान्य)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	धनरशि
1	027	2070001060301 सामान्य	01 वेतन	33,30,000 (रूपये तैंतीस लाख तीस हजार मात्र)
2	027	2070001060301 सामान्य	03 मंहगाई भत्ता	9,00,000 (रूपये नौ लाख मात्र)
3	027	2070001060301 सामान्य	04 यात्रा व्यय	20,000 (रूपये बीस हजार मात्र)
4	027	2070001060301 सामान्य	07 मानदेय	20,000 (रूपये बीस हजार मात्र)
5	027	2070001060301 सामान्य	49 चिकित्सा व्यय	1,55,000 (रूपये एक लाख पचपन हजार मात्र)
6	027	2070001060301 सामान्य	55 मकान किराया भत्ता	1,80,000 (रूपये एक लाख अस्सी हजार मात्र)
	कुल			**46,05,000 (रूपये छियालीस लाख पांच हजार मात्र)**

के नाम डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
राजन शुक्ला
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-04/2022/292/003-83-1002-2-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0।

3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजन शुक्ला
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in